

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज

25/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील डार्थी अनुपस्थित है। डार्थी स्वयं भी अनुपस्थित है इनकी फौर से कोई कानून वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार भावाजे लगवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः राजस्व कार्यालय पत्रा क्रम दाजरी क्रम परवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरसल शुमार है। नम्बर से क्रम दोनर दाखिल दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)